बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0 :–2/अ0प्र0–07–04/2022 1605 /पटना, दिनांक :– 17.7.23

श्री हेमचन्द्र लाल कर्ण, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया (कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के लिये अधिसूचित) को निगरानी विभाग द्वारा गठित धावादल के द्वारा दिनांक 03.08.2022 को रू० 62,000/–(बासठ हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने तथा इनके किराये के मकान से रू० 6,50,000/–(छः लाख पचास हजार रूपये) अतिरिक्त राशि बरामद होने संबंधी मामले में दर्ज निगरानी थाना कांड सं०–039/2022, दिनांक 02.08.2022, धारा–7(a)(b)(c)/12 भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) एवं 120(बी) भा०द०वि० के कारण श्री कर्ण के दिनांक 03.08.2022 से न्यायिक हिरासत के तहत केन्द्रीय कारा, भागलपुर में काराधीन रहने के आलोक में इन्हें अधिसूचना संख्या–1560 दिनांक 20.09.2022 द्वारा कारावास में जाने की तिथि 03.08.2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. केन्द्रीय कारा, भागलपुर से रिहा होने के उपरान्त श्री कर्ण, सहायक अभियंता सम्प्रति निलंबित द्वारा दिनांक 07.11.2022 के पूर्वाहन में अपना योगदान विभाग में समर्पित किया गया। तद्आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त श्री कर्ण के योगदान को स्वीकृत करते हुए अधिसूचना संख्या–316 दिनांक 09.02.2023 द्वारा योगदान की तिथि से ही पुनः अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया गया।

3. इसके उपरान्त मामले से संबंधित कागजातों के आधार पर श्री कर्ण, सहायक अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 367 अनु0 दिनांक 21.02.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

4. श्री कर्ण के अभ्यावेदन दिनांक 21.02.2023 द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रांक 770 दिनांक 13.04.2023 द्वारा आरोप पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर अविलंब समर्पित करने का निदेश श्री कर्ण को दिया गया।

5. श्री कर्ण द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु पुनः अभ्यावेदन समर्पित किया गया। साथ ही आरोप पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कुल 42 कागजातों की मांग की गयी है। श्री कर्ण द्वारा मांगे गये कागजातों में आरोप पत्र के सत्यापित प्रति, योजना से संबंधित मापी की सत्यापित प्रति, आरोप पत्र में वर्णित साक्ष्यों एवं दस्तावेजों को माननीय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर से अभिप्रमाणित/सत्यापित प्रति, परिवादी संवेदक के परिवाद पत्र में वर्णित अंतिम विपत्र की सत्यापित प्रति, रिश्वत की मांग किय जाने संबंधी कागजातों की सत्यापित प्रति, कार्य से संबंधित एकरारनामा एवं मापी पुस्त के सभी पृष्ठों की सत्यापित प्रति, प्राथमिकी का केस डायरी एवं अनुसंधान के अंतिम फलाफल का माननीय न्यायाधीश, विशेष निगरानी न्यायालय, भागलपुर द्वारा सत्यापित प्रति, गवाहों, परिवादी, धावादल प्रभारी के मोबाईल लोकेशन एवं कॉल डिटेल रिर्पोट की प्रति, वॉइस रिकार्डिंग की सत्यापित प्रति, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निर्गत सर्च वारंट की सत्यापित प्रति, प्रदर्श ए0बी0सी0 के नमूना को जाँच हेतु भेजने, रखने एवं जाँचफल संबंधी कागजात की सत्यापित प्रति,

जप्त किये गये नोटों की सत्यापित प्रति, रू० 62,000/– के सभी नोटों की सत्यापित प्रति, आदि सम्मलित है।

6. प्रश्नगत् मामले में श्री कर्ण के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोप एवं इसके साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के अवलोकनोंपरान्त यह स्पष्ट होता है कि आरोप पत्र में उल्लेखित आरोपों के समर्थन में आरोप पत्र में वर्णित सुस्पष्ट साक्ष्य श्री कर्ण को उपलब्ध कराया जा चुका है, दो बार निदेशित किये जाने के बावजूद श्री कर्ण द्वारा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोपों के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कर अन्य प्रकार के कागजातों की मांग किया जाना मामले में उनके टाल–मटोल की निति/मामले को लंबा खीचने के प्रयास को दर्शाता है।

7. अतः सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की गहन/विस्तृत जाँच के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत श्री कर्ण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

8. श्री हेमचन्द्र लाल कर्ण, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया (कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के लिये अधिसूचित) सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री शत्रुंजय कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

9. श्री कर्ण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार एवं मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/7/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–07–04/2022 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य एवं संगत कागजात की प्रति के साथ मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

14/7/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–07–04/2022 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री शत्रुंजय कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री हेमचन्द्र लाल कर्ण, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया (कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के लिये अधिसूचित) सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय :–मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

14/7/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–07–04/2022 1605 /पटना, दिनांक :– 17-7-23

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/7/2023

विशेष सचिव